न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

रेफरेन्स आवेदन पत्र सं. 06 / 2009

प्रार्थी–   ***बनाम***   **रेस्पोडेंट्स–**

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार सिवाना

जबरसिंह पुत्र शिवसिंह
जाति राजपूत निवासी रमणिया
तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

रेफरेन्स आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय डिक्री दिनांक 11.12.2007 जो सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा मुकदमा नंबर 81 / 2001 जबरसिंह बनाम ग्राम पंचायत रमणिया व अन्य के विरूद्ध पारित की गई।

उपस्थिति :–

1. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 30 / 12 / 2020

1. प्रार्थी की ओर से उक्त रेफरेन्स आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा मुकदमा संख्या 81 / 2001 अनवान जबरसिंह बनाम ग्राम पंचायत रमणिया व अन्य में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 11.12.2007 को विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा रमणिया के खसरा नंबर 346 रकबा 46–13 बीघा गैर मुमकिन ओरण भूमि में से 6–15 बीघा भूमि पर अप्रार्थी ने अपना कब्जा काश्त संवत 2012 से पूर्व का होना प्रकट करते हुए अपने कब्जे काश्त की उक्त भूमि खातेदारी में घोषित करने व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत किया। सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा प्रस्तुत वाद में सुनवाई उपरान्त विवादित गैर मुमकिन ओरण भूमि में वादी को 6–15 बीघा का खातेदार घोषित करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हुए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई कि प्रतिवादीगण अर्थात ग्राम पंचायत रमणिया एवं तहसीलदार सिवाना वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें। तहसीलदार सिवाना द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री को विधिविरूद्ध मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के तहत यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित किये जाने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का समग्र रूप से परीक्षण किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा विवादित गैर मुमकिन ओरण भूमि पर अप्रार्थी को मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी प्रदान की गई। राजस्व रेकर्ड में विवादित भूमि का मूल खसरा कुल 110–03 बीघा का था जिसमें से 63–00 बीघा भूमि आबादी हेतु ग्राम पंचायत रमणिया को आवंटित हुई। शेष भूमि में से 00–10 बीघा भूमि अनोपिया वल्द सतीया को नियमन हुई। इसके पश्चात शेष बची हुई 39–02 बीघा भूमि में वर्तमान में आबादी बसी हुई है। मौके पर उक्त भूमि किसी भी रूप में काश्त योग्य नहीं हैं और न ही अप्रार्थी का कोई कब्जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि पर नाजायज कब्जा किये जाने पर दिनांक 17.06.2008 को नायब तहसीलदार सिवाना द्वारा मय पुलिस जाब्ता हटाया गया एवं भूमि कब्जे राज ली जाकर ग्राम पंचायत को सुपुर्द की गई। राजस्व रेकर्ड के अनुसार मौके पर खातेदारी दिये जाने योग्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से अप्रार्थी के मौखिक साक्ष्यों के आधार पर शामलाती भूमि को खातेदारी में दर्ज करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जिसे निरस्त करने हेतु यह प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:58 IST
Reason: SelfAttested

5. अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि मौजा रमणिया के खसरा नंबर 346 आरम्भ से 112–09 बीघा में गैर मुमकिन ओरण दर्ज हुई थी। उक्त भूमि में से 63 बीघा भूमि पर ग्राम वासियों के आवासीय मकान बने हुये होने का कारण उक्त भूमि आबादी की घोषित की जाकर ग्राम पंचायत

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रमणिया को सुपुर्द की गई। इसके अतिरिक्त इस खसरे की भूमि में 02–06 बीघा भूमि पर सड़क निकाली गई और 00–10 बीघा भूमि अनोपिया पुत्र सतीया को नियमन की गई। इसके पश्चात शेष 46–13 बीघा भूमि में से 07–11 बीघा भूमि राजस्व अभियान के दौरान खेल मैदान हेतु आरक्षित की गई तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 81/01 में पारित निर्णय व डिक्री अनुसार 06–15 बीघा भूमि अप्रार्थी की पैतृक कब्जा व काश्त की होने से निर्णय दिनांक 11.12.2007 द्वारा खातेदारी में घोषित की गई। इसके पश्चात इस खसरा में केवल 39–02 बीघा भूमि शेष रही। इस भूमि में से राजकीय प्रयोजनार्थ 16 बीघा भूमि पृथक से आरक्षित की गई है। अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि का पृथक से खसरा नंबर 1649/346 रकबा 06–15 बीघा कायम किया गया है। इस प्रकार विवादित भूमि में से आवंटन, नियमन और आरक्षण होने तथा अप्रार्थी की खातेदारी घोषित भूमि के पश्चात खसरा नंबर 346 में से जो 39–02 बीघा भूमि रही उसमें ग्राम रमणिया के विभिन्न लोगों के कच्चे–पक्के मकान व बाड़े बने हुये हैं। वर्तमान में इस खसरे में एक इंच भूमि भी खुले ओरण के रूप में विद्यमान नहीं है। प्रार्थी तहसीलदार सिवाना द्वारा वादग्रस्त भूमि जो अप्रार्थी की खातेदारी में घोषित की जा चुकी है से अप्रार्थी का कोई कब्जा नहीं हटाया है। सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायालय के निर्णय अनुसार वादग्रस्त भूमि खातेदारी में घोषित की गई है जिसे नियमों के विपरीत कहने का तहसीलदार कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी ने अप्रार्थी के पक्ष में हुए निर्णय व डिक्री के विधिविरूद्ध होने के संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं आलोच्य निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अप्रार्थी ने अपने वाद पत्र में यह प्रकट किया है कि विवादित भूमि पर संवत 2012 से पूर्व ही उसका कब्जा काश्त रहा है एवं जागीरकाल में उक्त भूमि वन भूमि नहीं रही है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने वादी को उक्त भूमि के स्वामित्व से महरूम रखने की नियत से किस्म बदलकर ओरण अंकित कर दी। वादी एक भूमिहीन श्रेणी का व्यक्ति था जिसके पास न्यूनतम सीमा से कम भूमि का टुकड़ा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद में दो तनकियात कायम की गई एवं वाद के समर्थन में चार गवाहान के बयान करवाये गये। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अप्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

उसके विरूद्ध समय–समय पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत की गई कार्यवाहियों के दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये हैं। इसके अलावा निर्णय में खतौनी संवत 2009 की अप्रमाणित छायाप्रति जिसमें मौजा रमणिया के खेत खसरा नंबर 346 रकबा 112–09 बीघा भूमि सवाईसिंह व बाघसिंह खाता नंबर 20 इन्द्राज होना उल्लेखित किया है। जमाबंदी संवत 2024–35 अनुसार खेत खसरा नंबर 346 रकबा 110–03 बीघा भूमि जो खेती के लिये उपलब्ध नहीं है, केवल चराई के लिये योग्य भूमि, झाड़ी वाले (वन) जंगल इन्द्राज अंकन बताया गया है। इसके अलावा अप्रार्थी की ओर से वादग्रस्त भूमि पर अपने स्वामित्व के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी का कब्जा काश्त लम्बे अरसे से होने के आधार पर खातेदारी दिये जाने का आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर 2014(2)आरआरटी 1420 प्रस्तुत की गई है जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा अली खान के कायम मुकाम व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु राजस्थान में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा इसी निर्णय नजीर का अवलम्ब लेते हुए प्रकट किया कि आलोच्य निर्णय एवं डिक्री महज मौखिक साक्ष्य के आधार पर अवैध कब्जे की भूमि खातेदारी में घोषित की गई है जबकि राजस्व रेकर्ड में वक्त बंदोबस्त से उक्त भूमि खेती के लिये उपलब्ध नहीं होना दर्ज है। इसके अलावा राजकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में पारित निर्देशों के अनुसरण में गांव की शामलाती भूमि किसी निजी पक्षकार के हक में इन्द्राज नहीं किये जाने का भी अभिकथन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में भी विवादित भूमि पर मात्र अपना कब्जा होना ही अभिकथित किया है। इसके अलावा अपने स्वामित्व के संबंध में कोई ठोस आधार एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे विनम्र अभिमत अनुसार गांव की शामलाती भूमि की अवैध तरीके से बिना किसी स्वामित्व साक्ष्यों के अप्रार्थी के हक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसे इस रेफरेंस आवेदन पत्र के द्वारा अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त रेफरेंस प्रार्थना-पत्र इस अभिशंषा के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जाता है कि सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा अवैध रूप से गैर मुमकिन ओरण की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में इन्द्राज किये जाने के आलोच्य निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जावे। प्रकरण में राजस्व मण्डल के समक्ष सुनवाई तिथि 15.02.2021 नियत की जाती है। अप्रार्थी के अधिवक्ता निर्धारित तिथि पर राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

8. आदेश आज दिनांक 30.12.2020 को सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:58 IST
Reason: SelfAttested